— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर।

दिनांक 30.05.2021

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आठवां अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आठवें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 15.05.2021 को थाना कोतवाली देहात पर ग्राम शाहपुर चौसा निवासी सुलेमान(वादी) द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अपनी(वादी) पत्नी व पुत्रों के साथ गाली गलौज करते हुए मारने पीटने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घायल वादी के पुत्र समसुद्दीन की ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में गैर इरादतन हत्या व अन्य भादवि की धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई। जिसमें थाना स्थानीय पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त अभियोग की विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 30.05.2021 को उ0नि0 मो0अकरम खां मय हमराह उ0नि0 जय प्रकाश, का0 अंगद राम द्वारा आठवें अभियुक्त नान्हक चन्द्र पुत्र पन्नालाल निवासी चिन्दलिखदूबे थाना को0देहात मीरजापुर को राबर्ट्सगंज तिराहा मीरजापुर से समय 13.00 बजे गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।